केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020/00180
निर्णय दिनांकः–10.06.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–71/20204 दर्ज तिथिः–20.10.2020

1. केवलचन्द पुत्र रायसिंगाराम
   जाति भील निवासी गडरारोड़ ,हाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. निम्बाराम पुत्र उमाराम
   जाति भील निवासी एकलव्य नगर दूधू ,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र दलाराम
2. केसाराम पुत्र दलाराम
   जाति भील निवासी मांगता,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
3. मांगीलाल पुत्र मंगनाराम
   जाति भील निवासी पीपरड़ा तहसील राजसमंद
4. दीपाराम पुत्र गंगाराम
5. रेशमी देवी पत्नी पताराम
   किशनाराम पुत्र पताराम नाबालिक माता रेशमी
   जाति भील निवासी मांगता तहसील धोरीमना
6. भवंराराम पुत्र मुकनाराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 चुनाराम पुत्र भंवराराम
   6/2 भैराराम पुत्र भंवराराम
   6/3 देवाराम पुत्र भंवराराम
   6/4 हालियों देवी पुत्री भंवराराम
   6/5 जेती देवी पुत्री भंवराराम
   जति भील निवासी मेघवालों का तला,मांगता तहसील धोरीमना
7. जलाराम पुत्र मुकनाराम
8. अजाराम पुत्र मुकनाराम
9. गुलाबाराम पुत्र अणदाराम
10. मंगलाराम पुत्र अणदाराम
11. निम्बाराम पुत्र अणदाराम
12. देदाराम पुत्र लिखमाराम
    जाति भील निवासी मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

.............असल.प्रतिवादीगण

13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना ....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020 / 00180
निर्णय दिनांकः–10.06.2025

वादीः–श्री बलवन्तसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः–एक तरफा
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 319 / 5.1476 है0 वाके ग्राम मेघवालों का तला मांगता ,पटवार हल्का मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं ज़बरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तक़ासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक कोर्ट / भू.अ. / 2025 / 1088 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण [illegible] गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020 / 00180
निर्णय दिनांकः—10.06.2025

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 04.03.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक भू.अ. / 2025 / 831—848 दिनांक 27.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 319 / 5.1476 है0 वाके ग्राम मेघवालों का तला मांगता ,पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण [illegible] बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में [illegible] होकर खाते की आराजी के एकल

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 319/5.1476 है0 वाके ग्राम मेघवालों का तला पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण पक्षकारान के मध्य [illegible] खाता प्रविष्टिया द[illegible] जाने के आदेश तहसीलदार का अलग खाता प्रविष्टिया धोरीमना को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020/00180
निर्णय दिनांकः–10.06.2025

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
1.	केवलचन्दपुत्र रायसिंगाराम कौम भील सा.देह.खातेदार	आंशिक	319	1.5378	बा.सो.	0.46	लाल
2.	नीम्बाराम पुत्र उमाराम	आंशिक	319	0.1618	बा.सो	0.05	हरा
3.	अजा पुत्र मुकना केसा पुत्र दला किशनाराम पुत्र पताराम गुलाराम पुत्र अणदा चुना पुत्र भंवरा जेतीदेवी पुत्री भंवरा ज़ाला पुत्र मुकना देदा पुत्र लिखमा देवाराम पुत्र भंवरराम दीपाराम पुत्र गंगा नीम्बाराम पुत्र अणदा भेराराम पुत्र भंवरराम मंगलाराम पुत्र अणदा मांगीलाल पुत्र मगनलाल रेशमी देवी पत्नी पताराम हरखा पुत्र दला हलियांदेवी पत्नी भंवरराम कौम भील सा.देह.	27/426 22/426 6/426 71/426 54/4260 54/4260 23/426 22/426 54/4260 12/426 71/426 54/4260 70/426 60/426 5/426 6/426 54/4260	319	3.4480	बा.सो	1.03	पीला

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को [illegible] लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

10/6/2025
(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020/00180
निर्णय दिनांकः—10.06.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—71/20204 दर्ज तिथिः—20.10.2020

1. केवलचन्द पुत्र रायसिंगाराम
   जाति भील निवासी गडरारोड़ ,हांल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. निम्बाराम पुत्र उमाराम
   जाति भील निवासी एकलव्य नगर दूधू ,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र दलाराम
2. केसाराम पुत्र दलाराम
   जाति भील निवासी मांगता,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
3. मांगीलाल पुत्र मंगनाराम
   जाति भील निवासी पीपरड़ा तहसील राजसमंद
4. दीपाराम पुत्र गंगाराम
5. रेशमी देवी पत्नी पताराम
   किशनाराम पुत्र पताराम नाबालिक माता रेशमी
   जाति भील निवासी मांगता तहसील धोरीमना
6. भवंराराम पुत्र मुकनाराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 चुनाराम पुत्र भंवराराम
   6/2 भैराराम पुत्र भंवराराम
   6/3 देवाराम पुत्र भंवराराम
   6/4 हालियों देवी पुत्री भंवराराम
   6/5 जेती देवी पुत्री भंवराराम
   जति भील निवासी मेघवालों का तला,मांगता तहसील धोरीमना
7. जलाराम पुत्र मुकनाराम
8. अजाराम पुत्र मुकनाराम
9. गुलाबाराम पुत्र अणदाराम
10. मंगलाराम पुत्र अणदाराम
11. निम्बाराम पुत्र अणदाराम
12. देदाराम पुत्र लिखमाराम
    जाति भील निवासी मांगता तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर ....असल.प्रतिवादीगण
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना ....तकमीली प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020 / 00180
निर्णय दिनांक:—10.06.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:—श्री बलवन्तसिंह चौधरी
प्रतिवादीगण:—एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 319 / 5.1476 है0 वाके ग्राम मेघवालों का तला,पटवार हल्का मांगता तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	केवलचन्दपुत्र रायसिंगाराम कौम भील सा.देह.खातेदार	आंशिक	319	1.5378	बा.सो.	0.46	लाल
2.	नीम्बाराम पुत्र उमाराम	आंशिक	319	0.1618	बा.सो	0.05	हरा
3.	अजा पुत्र मुकना केसा पुत्र दला किशनाराम पुत्र पताराम गुलाराम पुत्र अणदा चुना पुत्र भंवरा जेतीदेवी पुत्री भंवरा जाला पुत्र मुकना देदा पुत्र लिखमा देवाराम पुत्र भंवरराम दीपाराम पुत्र गंगा नीम्बाराम पुत्र अणदा भेराराम पुत्र भंवरराम मंगलाराम पुत्र अणदा मांगीलाल पुत्र मगनलाल रेशमी देवी पत्नी पताराम हरखा पुत्र दला हलियांदेवी पत्नी भंवरराम कौम भील सा.देह.	27 / 426 22 / 426 6 / 426 71 / 426 54 / 4260 54 / 4260 23 / 426 22 / 426 54 / 4260 12 / 426 71 / 426 54 / 4260 70 / 426 60 / 426 5 / 426 6 / 426 54 / 4260	319	3.4480	बा.सो	1.03	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

केवलचन्द बनाम हरखाराम
2020/00180
निर्णय दिनांकः—10.06.2025

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/5/2025

(भागीरथराम, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested